

भारतीय रिजर्व बैंक की वैकल्पिक शिकायत निवारण प्रक्रिया

एक राष्ट्र, एक लोकपाल योजना

- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की वैकल्पिक शिकायत निवारण प्रक्रिया एक ऐसा मंच है जिसके जरिए आप अपनी अनसुलझी शिकायत को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) लोकपाल कार्यालय (ओआरबीआईओ) के समक्ष ले जा सकते हैं; बशर्ते
 - आप अपने बैंक/एनबीएफसी/भुगतान सेवा परिचालक के यहाँ शिकायत कर चुके हों और 30 दिनों के भीतर आपकी शिकायत का निवारण न हुआ हो
 - आप अपने बैंक/एनबीएफसी/भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं हैं।
- बैंकों, एनबीएफसी या भुगतान सेवा परिचालक के खिलाफ आपकी शिकायत को त्वरित और किफायती तरीके से आगे बढ़ाने के लिए आरबीआई द्वारा एकीकृत लोकपाल योजना 2021 पेश की गई है, हालांकि शुरुआती शिकायत यहाँ नहीं की जा सकती है।

एक राष्ट्र, एक लोकपाल योजना के अंतर्गत शिकायत करने के तरीके

- <https://cms.rbi.org.in> पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।
- सुबह 9:30 बजे से शाम 5:15 बजे के बीच टोल-फ्री नंबर 14448 पर कॉल करें।
- निर्धारित प्रारूप में पत्र: केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र, भारतीय रिजर्व बैंक, चौथी मंजिल, सेक्टर 17, चंडीगढ़ - 160017।

टोल फ्री नंबर: 1800-209-4324 / 1800-22-1070,

गैर-टोल फ्री नंबर: 022-67719100.

हमारे यहाँ विज़िट करें: www.idbibank.in | [Twitter](#) | [Facebook](#) | [Instagram](#) | [YouTube](#) | [LinkedIn](#)

CIN - L65190MH2004GOI148838



Bank Aisa Dost Jaisa